(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 410–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–15, 30–1–15 एवं 4–2–15 पारित द्वारा अपर तहसीलदार बिलपाक जिला रतलाम प्रकरण कमांक 3/अ–70/2012–13.

उंकार पिता रामा भील
निवासी ग्राम गोपालपुरा
तहसील व जिला रतलाम .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मनोरमा सिंह पति लालबाबू सिंह
निवासी सुयोग परिसर एक्सटेंशन
रत्नपुरी रतलाम
2– शंकर सिंह पिता अमरूप भील
निवासी ग्राम गोपालपुरा
तहसील व जिला रतलाम .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार बिलपाक जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–15, 30–1–15 एवं 4–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, रतलाम के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में हुए सीमांकन कार्यवाही में उसके स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 259/1 रकबा 0.600 हेक्टेयर में से रकबा 0.150 हेक्टेयर पर आवेदक का तथा रकबा 0.020 हेक्टेयर पर अनावेदक कमांक 2 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा हटवाया जाये।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–70/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में अन्तरित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम द्वारा दिनांक 22–7–14 को आदेश पारित कर प्रकरण अपर तहसीलदार, रतलाम को अन्तरित की गई । अपर तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित होने से प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–1–15 को आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए प्रकरण आवेदक को साक्ष्य का अन्तिम अवसर देते हुए साक्ष्य हेतु नियत किया जाकर दिनांक 30–1–15 को आवेदक का अवसर समाप्त किया गया एवं दिनांक 4–2–15 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक भील आदिवासी होकर प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित है, अतः तहसील न्यायालय को वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखना चाहिए थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बिना उचित कारण दर्शाये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका ने आवेदक के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अभिकथनों को सिद्ध करने का भार अनावेदिका कमांक 1 पर है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 1 की साक्ष्य न लेते हुए आवेदक को पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश देने में न्यायालयीन प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने प्रवाचक द्वारा नियत पेशी दिनांक में साक्ष्य का अवसर समाप्त किया है, जो कि पूर्णतः गलत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का का कोई अवसर नहीं दिया गया है ।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय के उक्त आदेशों को निरस्त किये जाकर पटवारी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाकर न्यायालयीन प्रकिया का पालन करते हुए

प्रकरण का विधिवत निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी को साक्ष्य हेतु बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रकरण की वैधता को संहिता की धारा 250 के प्रकरण में चुनौती नहीं दी जा सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में लम्बित वाद में जो आदेश पारित होगा, वह उभय पक्ष पर बन्धनकारी होगा । अन्त में उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 पूर्व से एकक्षीय है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–1–15 को आदेश पारित कर आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है एवं दिनांक 4–2–15 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय को न्यायहित में आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर एवं पटवारी के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था । ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान कर, पटवारी के साक्ष्य लिये जाकर, साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार बिलपाक जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–15 एवं 4–2–15 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर